राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

8,अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2020–21/7251 भोपाल, दिनांक 02/06/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
3. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स भोपाल, म.प्र.।
4. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा / सागर, म.प्र.।

विषय :– कोविड–19 महामारी के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्रों के सुचारू संचालन व एन.आर.सी स्टॉफ की 24X7 उपलब्धता बाबत्।

संदर्भ :– राज्य कार्यालयीन पत्र क्र/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2020/5919, दिनांक 26/03/2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से कोविड –19 से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त पोषण पुनर्वास केन्द्रों को कोविड–19 संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल चिकित्सकीय जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों के भर्ती एवं संस्थागत प्रबंधन संबंधी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। ज्ञातव्य हो कि गंभीर कुपोषित बच्चों में स्वस्थ बच्चों की तुलना में आम बाल्यकालीन बीमारियों से मृत्यु का 9–20 गुना अधिक खतरा होता है। कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु किए गए लॉकडाउन के कारण माह मार्च 2020 से प्रदेश भर में इन बच्चों का समुदाय से चिन्हांकन, रेफरल एवं संस्थागत प्रबंधन सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

यह संज्ञान में आया है कि वर्तमान में जिला अस्पताल व सी.एच.सी को कोविड–19 सेन्टर बनाए जाने से एन.आर.सी वार्ड को कोविड–19 हेतु आईसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है एवं एन.आर.सी स्टॉफ की ड्यूटी कोविड–19 संबंधी व्यवस्थाओं में लगा दी गई है। इस प्रकार इन केन्द्रों में भर्ती होने वाले बच्चों को वांछित मानक उपचार नहीं मिल पा रहा है, अधिकांश केन्द्रों में ये 'बच्चा वार्ड' में भर्ती हो रहे है जिससे इनमें nosocomial संक्रमण का अधिक खतरा रहता है। **गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत प्रबंधन गैर कोविड–19 आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाली सेवाओं में सम्मिलित है, अतः निर्देशित किया जाता है कि जिला व ब्लॉक स्तर की समस्त एन.आर.सी 24 x 7 संचालित की जाए तथा एन.आर.सी मेडिकल, पैरामेडिकल तथा सपोर्ट स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इन्हें कोविड–19 से संबंधित कार्यों में मुक्त रखा जाए।**

उक्त निर्देश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(छवि भरद्वाज)
मिशन संचालक
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2020–21/7252 भोपाल, दिनांक 02/06/2020

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
4. अधिष्ठाता, मेडीकल कॉलेज, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला MO NRC, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
9. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश – निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों व पोषण प्रशिक्षकों को उपलब्ध करायें।
10. समस्त विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश